

## WRITTEN ANSWER TO QUESTION

## SHORT NOTICE QUESTION

## National Commission on Labour

S.N.Q. 6. Shri Madhu Limaye:  
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether Government have decided to set up a National Commission on Labour;

(b) whether there was any opposition to this move from certain vested interests;

(c) the terms of reference of this Commission;

(d) its composition; and

(e) when it is likely to submit its report?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) Yes.

(b) No.

(c) The Commission is expected to review the existing legislative and other provisions intended to protect the interests of labour, to assess their working and to advise how far these provisions serve to implement the Directive Principles of State Policy in the Constitution on labour matters and the national objectives of establishing a socialist society and achieving planned economic development. It will, in particular, study and report, on matters like, the levels of workers' earnings, arrangements for social security, industrial relations, and measures for improving conditions of rural labour.

(d) In addition to the Chairman and a member Secretary, the Commission will have four members each to represent employers' and workers' interest and four independent members, including one economist.

(e) About two years.

11.16 hrs.

RE: CALLING ATTENTION NOTICES  
(Query)

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I rise on a point of order.

Mr. Speaker: Let him ask for leave and then I will allow him.

Shri Indrajit Gupta (Calcutta South-West): We had also tabled some call-attention notices. Is the hon. Commerce Minister going to make any statement in Parliament today about the outcome of his talks regarding the closure of those textile mills? Is there anything?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): I have requested for the time, half past Two, if it is possible.

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने भी नोटिस दी थी . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप को इत्तला मिल जायेगी ।

श्री बड़े : सुशील मुनि से और प्रधान मंत्री से जो पत्र व्यवहार हुआ है वह सामने आना चाहिये । वह महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार है । . . . . . (व्यवधान) . . . . .

अध्यक्ष महोदय : लास्ट डेज है इसलिए मैं आप को रोज करने के लिए कह रहा हूँ ।

श्री बड़े : वह पत्र व्यवहार तो सामने आना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये । अगर उन को करना है तो वह करेंगी ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सुशील मुनि ने जो अनशन करने की घोषणा की उस पर प्रधान मंत्री से उन का जो पत्र व्यवहार हुआ है वह बहुत ही आवश्यक है और उस पर यहां चर्चा होनी चाहिए । प्रधान मंत्री ने जो विचार पत्र

व्यवहार में व्यक्त किया है उस को वह बतलायें।  
 आज उन्होंने प्रश्न शुरु कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंका) : मैं ने दो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये थे। एक तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस दी है श्री मधु लिमये ने जो विशेषाधिकार की प्रवहेलना का प्रश्न उठाया है उस के सम्बन्ध में मैं ने उस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए संसद कार्य मंत्री से पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : अभी मुझे कोई नोटिस नहीं मिली है।

श्री रामसेवक यादव : अखबार में छपा है।

अध्यक्ष महोदय : अखबार में छपे होने से ही उसे नहीं लिया जा सकता।

श्री रामसेवक यादव : अच्छा अब मैं दूसरी बात पूछता हूँ। जो यहाँ गृह मंत्री के सम्मान में एक पुलिस परेड होने वाली थी उस से जनता में बहुत असन्तोष है। उसके बारे में वक्तव्य दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने उसे डिसमलाऊ कर दिया है।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मेरा अल्प सूचना प्रश्न था।

अध्यक्ष महोदय : उस को अब न लीजिये।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में देरी हुई। इस लिए मैं खेद प्रदर्शित किया है। यह कमिशन स्वतन्त्रता के बाद . . . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये, आज बीस सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ और न मैं कर सकता हूँ। इस बात को आप छोड़ दीजिये।

श्री मधु लिमये : आप मंत्री महोदय का खेद स्वीकार करते हैं . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप से कह दिया कि अब वह नहीं लिया जा सकता।

श्री मधु लिमये : अच्छा तो अब दूसरी बात के बारे में मुझे निवेदन करने दीजिए। यह बिहार के अफसरों और सरकार के बारे में . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं ने कहा है कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिली है।

श्री मधु लिमये : आप को नाटिस नहीं मिली होगी, लेकिन अखबारों में निकला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अखबार की बात को ले कर किस तरह से यहाँ इस को ले सकता हूँ।

श्री मधु लिमये : फिर मौका कब मिलेगा। इस लिये मेरी बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : वह मैं नहीं कर सकता। श्री म बरुआ।

श्री मधु लिमये : कब लेंगे इसको।

अध्यक्ष महोदय : आज शायद वह था जाये।

श्री मधु लिमये : तो क्या उस के बाद जेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ।

Shri Hem Barua (Gauhati): I had submitted a call-attention notice on Miss Reita Faria's proposed visit to Vietnam, but unfortunately that call-attention notice has not been....

Mr. Speaker: I am not so keen on chasing Miss Reita, wherever she wants to go.

Shri Hem Barua: That is call-attention....

Mr. Speaker: No, no. Now Miss Reita should be left out.

श्री शिव नारायण (बांसी) : यह रेकार्ड में नहीं रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या रिकार्ड में रहना चाहिए ।

श्री हुकम चन्व कछबाय : वह सुन्दरी को नहीं चाहते ।

Shri S. M. Banerjee: Two call-attention notices have been given on two very important matters.

Since we are at the fag end of the session, I would request you to kindly allow me. We had tabled calling-attention-notices on two important issues. One was about the release of the students especially in Delhi. The second one was about the release of the political prisoners arrested under the Preventive Detention Act, before the elections. Since the calling-attention-notices have been rejected, I would only request that the hon. Minister may make some statement on the matter.

Mr. Speaker: I shall find out.

श्री ज० ब० सिंह (प्र.सं.) : अध्यक्ष महोदय, कालिग एटेंशन मोशन जिन मसलों पर दिया जाता है वे बहुत महत्वपूर्ण मसले होते हैं। मैंने भी एक कालिग एटेंशन दिया था। मुझे उस विषय में आठ बस तार मिले हैं। मऊ डिस्ट्रिक्ट ब्राह्मणगढ़ में भूखमरी फैली हुई है। वहां पर सूत के दाम दुगुने हो गए हैं। सरकार ने कोई तरीका नहीं अपनाया कि सूत किस तरह से फिक्स्ड प्राइस पर लोगों को उपलब्ध किया जाए। इसके बारे में जो मैंने कालिग एटेंशन नोटिस दिया था, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसको आप स्वीकार करें।

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal): I had tabled so many questions, short notice questions and notices for raising half-an-hour discussion regarding the revision of the pay scales of engineers, foremen, that is, railway foremen and apprentices in the Railway Ministry who are the backbone of the railways. But these have not been admitted....

Mr. Speaker: At the moment, I am only dealing with calling-attention-notices.

Shri Sivamurthi Swamy: I would request the Railway Minister to kindly look into the matter.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मुझे आप से शिकायत नहीं है। नेता सदन से मुझे शिकायत है। हमारे नेता सदन दूसरों से बात कर रहे हैं, हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं—

अध्यक्ष महोदय : आप ज्यादा जोर से न बोलें। आपने कहा है कि आप भ्रनशन पर हैं।

श्री यशपाल सिंह : भूख हड़ताल तो की हुई है। मुझे गम भूख हड़ताल का नहीं नेता सदन के वादे का गम है। नेता सदन से मैं कहना चाहता हूँ

मुझे अपनी बेबसी पर कोई गम नहीं है  
लेकिन

तेरे दिल में कोई भ्रमनां कहीं घुट के रह  
न जाए।

वह वादा करते हैं और वादे को तोड़ते हैं। मुझे भूखहड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे हैरानी हुई है। यशपाल सिंह जी ने मुझे लिखा था कि मैं भ्रनशन कर रहा हूँ कल से। मुझे यह खुशी है कि उनके चेहरे पर और ज्यादा रीनक है।

श्री यशपाल सिंह : भ्रनशन से तो धायु बढ़ती है। गीता माता का हुक्म है :

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः  
रसवर्जं रज्जोऽप्यस्य परं दृष्ट्वां निवर्तते ।

भ्रनशन से धायु बढ़ती है, तेज बढ़ती है। लेकिन माननीय नेता सदस्य जो रोज रोज वादे तोड़ते हैं न नका क्या उपाय किया जाए ?

**Shri M. R. Krishna (Peddapalli):** Why is there this announcement in Parliament about fasting?

संस्कृत-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : माननीय सदस्य बड़े धर्मात्मा गिने जाते हैं। गीता और रामायण का पाठ भी वह बहुत करते हैं। उनको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ वादा भंग की। आपको याद होगा कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा था कि हम कभी आयुद्ध नहीं पकड़ेंगे। हुआ यह कि दस दिन बाद भीष्म ने आयुद्ध पकड़वा दिया। हाउस ने मुझ को वादे से टलवा दिया। मैं क्या करूँ ?

**Shri A. P. Sharma (Buxar):** Regarding the proposed statement by the hon. Commerce Minister at 2-30 P.M., I would submit that it is a very important subject, and, therefore, we should be allowed to ask questions after the statement is made.

**Mr. Speaker:** That would be seen at that time.

11.23 hrs.

**QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST  
SHRI MADHU LIMAYE**

**Mr. Speaker:** Now, Shri G. N. Dixit might only ask for leave to raise the question of privilege against Shri Madhu Limaye....

**Shri G. N. Dixit (Etawah):** Under rule 225....

**Mr. Speaker:** He might only ask for leave now.

**Shri G. N. Dixit:** Under rule 225, I had raised the question of privilege, and it was objected to. Under rule 225(2)....

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) :  
नए सिरे से क्या होगा ? कल उन्होंने मूव किया था क्या ?

**Mr. Speaker:** Now, he might ask for leave.

**Shri G. N. Dixit:** I ask for leave to raise the question of privilege, under rule 225(2).

**Shri S. M. Banerjee (Kanpur):** On a point of order. I raise on a point of order under rule 223. As I pointed out yesterday also, rule 223 reads thus:

"A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be raised. If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document."

I hope that you, Sir, have satisfied yourself on these two counts.

Rule 224 reads thus:

"The right to raise a question of privilege shall be governed by the following conditions, namely:

- (i) not more than one question shall be raised at the same sitting;
- (ii) the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence;
- (iii) the matter requires the intervention of the House."

**Mr. Speaker:** He had made that point yesterday also.

**Shri S. M. Banerjee:** On the 17th August, 1966, just after the Question Hour, this was what you had stated. I am reading out from the proceedings of the House. It is as follows:

'RE: Question of Privilege against the Minister of Food and Agriculture.

**Mr. Speaker:** There was a breach of privilege notice given by Shri Madhu Limaye in the first instance, and then by three Members Shri Daji and Shri S. M. Banerjee